5-12-19 पत्रावली पेशहुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब
सरकार प्राप्त नहीं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी।
वकील प्रार्थी को सुनने उपरान्त प्रार्थी का प्रा० पत्र
स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल
वाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते
हैं प्रकरण मूल पत्रावली के साथ दिनांक 16-1-20
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested